

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/आर-95/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० रणवीर, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(मूर्च्छक), निश्चेतना विभाग, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालंदा के दिनांक 18.11.2022 से 30.12.2022 तक की अवधि को निम्नरूप में विनियमित किया जाता है:-

i	दिनांक 18.11.2022 से 25.12.2022 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा के रूप में। (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में)
ii	दिनांक 26.12.2022 से 30.12.2022 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)

2. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/आर-95/2025- 1655(2) पटना, दिनांक 20/12/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, नालंदा/डा० रणवीर, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(मूर्च्छक), निश्चेतना विभाग, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9ए, 9बी, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

W. M. K. 15/12/26
सरकार के उप सचिव